राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर

क्रमांकः प.10( )चुनाव / न.पा.गठन / स्वाशा / 22–23 / 101 दिनांकः 2/2/2023

आदेश

माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर मे दायर जनहित /खण्डपीठ (डी.बी.) याचिका सं. 16071 / 19 जनहित सेवा संघर्ष सेवा समिति रायपुर –मारवाड बनाम स्टेट व अन्य में पारित आदेश दिनांक 11 / 02 / 2022 की अनुपालना में सम्पूर्ण राजस्व ग्रांम पंचायत रायपुर – मारवाड की सीमा क्षेत्र के राजस्व ग्रामों सहित सीमा को सम्मिलित करते हुए नगर पालिका गठन किए जाने हेतु प्राप्त अभ्यावेदन का अवलोकन किया गया । प्राप्त अभ्यावेदन का तर्कसंगत निस्तारित करने हेतु निम्न तथ्यों पर विचार किया गया :–

'' भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 (क्यू) (2) को दृष्टिगत रखते हुए पंचायत अधिनियम की धारा 101 के अन्तर्गत नियमानुसार जन आपत्तियॉ प्राप्त कर निस्तारण करते हुए, किसी स्थानीय क्षेत्र को नगर पालिका घोषित किये जाने के संबंध में निर्धारित मानक अधिसूचना दिनांक 19 / 02 / 2021 के द्वारा निर्धारित किए गए है। पंचायत राज. विभाग द्वारा नवीन रूप से वार्डो की संख्या में वृद्वि किया जाकर पंचायतों के आम चुनाव करा दिए गए है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय के द्वारा बजट वर्ष 22–23 की घोषणा के आधार पर ग्रांम पंचायत मारवाड–जक्शन जिला पाली को नवगठित नगर पालिका घोषित किया गया है। ग्रांम पंचायत क्षेत्र रायपुर –मारवाड के आम नागरिकों के जनहित, आर्थिक एवं भौगोलिक दृष्टि, क्षेत्र की भूमि में 2/3 भाग कृषि क्षेत्र होने, अधिकांश जनता कृषि आय पर निर्भर होने, व सम्पूर्ण तथ्यात्मक वस्तुस्थिति एवं वर्तमान परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुए प्रकरण में प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन के अवलोकन पश्चात यह निर्णय लिया गया है कि ग्रांम पंचायत रायपुर – मारवाड को अन्य राजस्व ग्रामों सहित सीमा को सम्मिलित किया जाकर वर्तमान परिपेक्ष्य में नवगठित नगर पालिका बनाया जाना समीचीन प्रतीत नहीं होता है। ''

अतः माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर मे दायर जनहित खण्ड पीठ याचिका सं. 16071 / 2019 में पारित आदेश दिनांक 11.02..2022 की अनुपालना में प्रार्थीगण जनहित सेवा संघर्ष समिति, रायपुर – मारवाड व अन्य के द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन /अभ्यावेदन को एतद् द्वारा (Reject) खारिज किया जाता है। यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं ।

आज्ञा से,

(हृदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

D:\Order.docx

क्रमांकः प.10( )चुनाव/न.पा.गठन/स्वाशा/22–23/ 102–120 दिनांकः 2/2/2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, सचिव,मुख्य मंत्री कार्यालय शासन सचिवालय जयपुर ।
2. निजी सचिव, मां. मंत्री महोदय,/सचिव महोदय, स्वायत शासन विभाग,राज. जयपुर ।
3. निजी सचिव, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, सचिवालय, जयपुर।
4. संभागीय आयुक्त जोधपुर /जिला कलेक्टर पाली ।
5. जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, पाली ।
6. अतिरिक्त महाधिवक्ता, राज. उच्च न्यायालय जोधपुर को माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर ।
7. आयुक्त ग्रांमीण विकास एवं पंचायती राज विभाग,सचिवालय जयपुर ।
8. उप निदेशक (क्षेत्रीय),(प्रभारी अधिकारी/समन्वयक) स्थानीय निकाय विभाग, जोधपुर।
9. उप निदेशक (सांख्यिकी) निदेशालय ।
10. आयुक्त नगर परिषद पाली ।
11. सरपंच/उपसरपंच /वार्ड पंच ग्रांम पंचायत रायपुर –मारवाड जिला पाली ।
12. अध्यक्ष, जनहित सेवा संघर्ष समिति, रायपुर मारवाड जिला पाली राजस्थान ।
13. अधिशासी अधिकारी नगर पालिका मारवाड–जक्शन जिला पाली ।
14. प्रोगरामर, निदेशालय विभागीय वैवसाईड पर अपलोड करने हेतु ।
15. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

D:\Order .docx